

11.05.18

वकील अपीलान्त या स्वयं अपी. कोर्ट उपस्थित
नहीं है। अपी. को बार-बार आवेज
दिलाई गई। अपी. की आर.स कोर्ट उपस्थित
नहीं आया। अतः अपील अदम हाजरी
व अदम करवी में खारिज की जाती है।
पत्रावली फ्रेंचल शुमार होकर बाद वकील
जाबता कार्यालय दफतर है।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर